ए.

शिव राज गुप्ता

वी.

आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV (2016 की सिविल अपील संख्या 12044)

बी.

22 जुलाई, 2020

[आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और बी. आर. गवई, जे. जे.]

आयकर अधिनियम, 1961-एस.28((ए) और 260-ए-गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के रूप में किया गया भुगतान-की कराधान-अपीलार्थी एक कंपनी-सी. डी. बी. एल. का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक था-एक एस. डब्ल्यू. सी. समूह ने अपीलार्थी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया और उक्त कंपनी-सी. डी. बी. एल. के लिए अपीलार्थी को पूरी बिक्री का भुगतान किया-जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने सी. डी. बी. एल. की उक्त शराब बनाने की दुकान और आसवन का भौतिक कब्जा, प्रबंधन और नियंत्रण सौंप दिया। एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा अपीलार्थी को 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय निर्मित विदेशी शराब से संबंधित किसी भी निर्माण या विपणन गतिविधियों को नहीं चलाने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के रूप में 6.6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था-निर्धारण अधिकारी ने माना कि अनुबंध का विलेख कर से बचने के लिए एक रंगीन उपकरण था। 28((ए) आयकर अधिनियम, 1961-आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील खारिज कर दी गई थी-हालाँकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2 के बहुमत से अपीलों को स्वीकार कर लियाः1 – राजस्व ने यू/एस के तहत एक अपील को प्राथमिकता दी।260-1961 के अधिनियम का ए-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रु. 6. 6 करोड़ रुपये पर कर नहीं लगाया जा सका।28((ए), लेकिन इसे अपीलार्थी के हाथों में कर योग्य पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाना चाहिए, जो शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य का हिस्सा है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं था कि क्या गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क पर एस के अलावा किसी अन्य प्रावधान के तहत कर लगाया जा सकता है।28((ii) 1961 के अधिनियम की (क)-किसी भी कारण को दर्ज किए बिना और उसके संबंध में कानून का कोई

महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रु। 6. 6 करोड़ रुपये शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्राप्त किए गए थे न कि सीडीबीएल के प्रबंधन और नियंत्रण को सौंपने के लिए और इसके परिणामस्वरूप यू/एस कर योग्य नहीं है।28((ए)-न ही इसे पूंजी रसीद के गैर-प्रतिस्पर्धी होने के रूप में छूट दी गई है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

874 ए.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV ए

875

शुल्क, क्योंकि यह शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है-यह निष्कर्ष एस के दांतों में है।260-ए (4), जिसमें इस आधार पर निर्णय को अलग रखने की आवश्यकता होती है-साथ ही, निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए कारण और अपीलीय न्यायाधिकरण का अल्पमत निर्णय ऐसे सभी कारण हैं जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राजस्व को इस बात का दूसरा अनुमान लगाने का कोई काम नहीं है कि कौन से पक्ष एक-दूसरे के लिए निर्णय लेते हैं-इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णयों द्वारा यह सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया था कि रु। इसमें से 3 करोड़ रु. समझौता ज्ञापन के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी नुकसान की कटौती के उद्देश्य से एस. डब्ल्यू. सी. समूह के साथ दो साल की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा के रूप में 6.6 करोड़ रुपये, एक दंड खंड के समान था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो पूरी तरह से अलग और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दो अलग-अलग समझौते करने में कोई रंगीन उपकरण शामिल नहीं था-इसके अलावा, निर्णय

बी.

सी.

सुप्रीम कोर्ट ने गफी केम (पी) लिमिटेड बनाम.सी. आई. टी. का पालन किया गया -

डी.

नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न में कोई सवाल नहीं था कि क्या गैर**-**प्रतिस्पर्धा शुल्क पर आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा **28 (ii) (**ए**)** के अलावा किसी अन्य प्रावधान के तहत कर लगाया जा सकता है। पक्षकारों को अवसर दिए बिना और उसके बाद निर्धारिती के हाथों में पूंजी रसीद के रूप में ऐसी राशि की करयोग्यता के बारे में कानून का कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के लिए कारण दिए बिना।**[**पैरा **14] [888-**बी**-**सी**]**

ई.

एफ.

1.2 बिना किसी अभिलिखित कारण के और कानून का कोई ठोस सवाल बनाए बिना कि क्या उक्त राशि पर आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कर लगाया जा सकता है**,** उच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर कहा कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त **6.6** करोड़ रुपये की राशि शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्राप्त की गई थी**-**न कि सीडीबीएल के प्रबंधन और नियंत्रण को सौंपने के लिए और इसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा **28 (ii) (**ए**)** के तहत कर योग्य नहीं है। न ही इसे पूंजी रसीद के गैर**-**प्रतिस्पर्धा शुल्क होने के रूप में छूट दी गई है**,** क्योंकि यह प्रतिवादी**-**निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है।

जी.

एच.

शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य का।यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से धारा **260-**ए **(4)** के आधार पर होगा**,** जिसमें इस आधार पर निर्णय को अलग रखने की आवश्यकता होगी।कई निर्णयों में कहा गया है कि व्यावसायिक औचित्य का निर्णय निर्धारिती के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और आयकर विभाग निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि की तर्कसंगतता में प्रवेश नहीं कर सकता है।**[**पारस **14** और **15] [888-**एफ**-**एच**; 889-**डी**-**ई**]**

बी.

2. यह न्यायालय केवल अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णयों द्वारा सही पाए जाने पर दोहरा सकता है**,** किः

(i) आई**.** एन**.** आर**. 10** के अंकित मूल्य और आई**.** एन**.** आर**. 3** के बाजार मूल्य का एक हिस्सा नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान करने के परिणामस्वरूप आई**.** एन**.** आर**. 30** में बेचा गया था।

सी.

((ii) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कंपनी में उसके शेयरों के लिए भुगतान किया गया था**,** जिसमें से बड़ा हिस्सा निर्धारिती के बेटे और पत्नी को दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास उक्त परिवार में सबसे अधिक शेयर थे।

डी.

(iii) 6 करोड़ रुपये का गैर**-**प्रतिस्पर्धा शुल्क केवल निर्धारिती को दिया गया था।यह वाचा विलेख में बताए गए कारण के लिए था**,** अर्थात्**,** अपीलार्थी ने शराब व्यवसाय में काफी ज्ञान**,** कौशल**,** विशेषज्ञता और विशेषज्ञता प्राप्त की थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथ्यों के आधार पर वे लगभग **35** वर्षों तक सी**.** डी**.** बी**.** एल**.** के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। कि उनके पास मैसर्स माल्टिंग्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी थी**,** जो आई**.** एम**.** एफ**.** एल**.** और बीयर का निर्माण और बिक्री करती थी और वह ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन और एच**.** पी**.** डिस्टिलरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।

ई.

एफ.

((iv) लेखा सदस्य के निर्णय में आगे यह दर्ज किया गया है कि एस**.** डब्ल्यू**.** सी**.** समूह और अपीलार्थी के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप **6.60** करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। **(v)** कि **10** वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक वाचा के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष **66** लाख रुपये का भुगतान किया गया ताकि अपीलकर्ता "आई**.** एम**.** एफ**.** एल**.** और**/**या बीयर के निर्माण**,** लेन**-**देन और आपूर्ति या विपणन के संबंध में**,** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से**,** या किसी भी प्रकार की कोई सेवा**,** सहायता या समर्थन प्रदान नहीं करेगा।**”** व्यक्तिगत ए को देखते हुए

जी.

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV ए

निर्धारिती की विशेषज्ञता, एस. डब्ल्यू. सी. समूह की धारणा यह थी कि अपीलार्थी या तो एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय शुरू कर सकता है या खुद को एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय में संलग्न कर सकता है, जिसमें आई. एम. एफ. एल. और बीयर का निर्माण और विपणन शामिल होगा, जिसमें वह एक पुराना हाथ था, जिसके पास **35** वर्षों का अनुभव था।

(vi) जैसा कि दूसरे न्यायिक सदस्य द्वारा सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया था, यह भी स्पष्ट था कि समझौता ज्ञापन के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी नुकसान की कटौती के उद्देश्य से एस. डब्ल्यू. सी. समूह के साथ सार्वजनिक जमा के माध्यम से **6** करोड़ रुपये में से **3** करोड़ रुपये को दो साल की अवधि के लिए रोकना एक दंड खंड के समान था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो पूरी तरह से अलग और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दो अलग-अलग समझौते करने में कोई रंगीन उपकरण शामिल नहीं था।**[**पैरा **17] [892-**एच**; 893-**ए-एच**]3.** निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए कारण और अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय वे सभी कारण हैं जो उद्धृत निर्णयों द्वारा खींची गई रेखाओं का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राजस्व को इस बात का दूसरा अनुमान लगाने का कोई काम नहीं है कि कौन से पक्ष एक दूसरे के लिए निर्णय लेते हैं।**[**पैरा **18] [894-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट

(1997) 5 एससीसी **438:[1997] 1** पूरक।एससीआर **201;**

ई.

विश्वनाथ घोष बनाम गोबिंद घोष **(2014) 11** एससीसी

605 :[2014] 3 एससीआर 1097; सीआईटी बनाम वालचंद एंड कंपनी।

[1967] 3 एस. सी. आर. **214;** जे. के. ऊनी निर्माता बनाम सी. आई. टी. **[1969] 1** एस. सी. आर. **525;** सी. आई. टी. बनाम पानीपत ऊनी और जनरल

मिल्स कं. लिमिटेड (1976) 2 एस. सी. सी. 5:[1976] 3 एससीआर 186;

शाहजादा नंद एंड संस बनाम सी. आई. टी. **(1977) 3** एस. सी. सी. **432:[1977] 3** एससीआर **529;** एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनामसीआईटी **(2007) 1**

एफ.

एससीसी 781:[2006] 10 पूरक।एस. सी. आर. 1077; हीरो साइकिल (पी) लिमिटेड बनामसी. आई. टी. (2015) 16 एस. सी. सी. 359; गफिक केम (पी) लिमिटेड बनाम.सीआईटी (2011) 4 एससीसी 254:[2011] 3 एससीआर 899-पर निर्भर।

जी.

मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनामसीटीओ **(1985) 3** एससीसी **230:[1985] 3** एससीआर **791;** वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी बनाम।

भारत संघ (2012) 6 एससीसी 613:[2012] 1 एससीआर 573;

ज्ञानोबा भाऊराव शेमाडे बनाम मारौती भाऊराव

मार्नर (1999) 2 एस. सी. सी. 471-संदर्भित।

एच.

मामला कानून संदर्भ

[1985] 3 एससीआर **791**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

[2012] 1 एससीआर **573**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1997] 1 पूरक।एससीआर **201** पर भरोसा किया गया

पैरा **13 (1999) 2** एस**.** सी**.** सी**. 471** पैरा **13 [2014] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1097** पर निर्भर था

बी.

पैरा **13**

[1967] 3 एससीआर **214**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

पैरा **15**

[1969] 1 एससीआर **525**

उस पर भरोसा करें

सी.

[1976] 3 एससीआर **186**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[1977] 3 एससीआर **529**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[2006] 10 पूरक।एससीआर **1077** पर भरोसा किया गया

पैरा **15**

(2015) 16 एस**.** सी**.** सी**. 359**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

डी.

उस पर भरोसा करें

[2011] 3 एससीआर **899**

पैरा **19**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2016 की सिविल अपील सं. 12044।

2002 के आयकर अपील सं. 41 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.12.2014 के निर्णय और आदेश से।

ई.

अरविंद दातार, अजय वोहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, उदित नरेश, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. मूल्यांकन वर्ष 1995-96 से संबंधित वर्तमान अपील श्री शिव राज गुप्ता द्वारा की गई है, जो मैसर्स सेंट्रल डिस्टिलरी एंड ब्रुअरीज लिमिटेड (इसके बाद "सीडीबीएल" के रूप में संदर्भित) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिसकी मेरठ में बीयर और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (इसके बाद "आईएमएफएल" के रूप में संदर्भित) बनाने की एक इकाई थी।इस अपील में उठाए गए मुद्दों की सराहना करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं।2. अपीलार्थी और तीन ए के बीच दिनांकित समझौता ज्ञापन (जिसे इसके बाद "एमओयू" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा

जी.

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

879

मेसर्स शॉ वालेस कंपनी ग्रुप (इसके बाद "एस. डब्ल्यू. सी. ग्रुप" के रूप में संदर्भित) की समूह कंपनियाँ, अपीलार्थी, उनकी पत्नी, बेटे, बहू और दो बेटियाँ 10-10 रुपये के 1,86,109 इक्विटी शेयरों के पंजीकृत धारक थे, जो बॉम्बे और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सी. डी. बी. एल. की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 57.29% था।अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों और स्वयं अपीलार्थी द्वारा रखे गए शेयरों का विभाजन इस प्रकार हैः

बी.

शेयर धारक का नाम आर	सी. डी. बी. एल. में उनके स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या
शिव राज गुप्ता (अपीलार्थी)	38,999
जयंत गुप्ता (अपीलार्थी का पुत्र)	44,658

रूपा गुप्ता (अपीलार्थी की बहू)	53,911
पुष्पा गुप्ता (अपीलार्थी की पत्नी)	3,303
अवंती पंडित (अप्पे लैंट की बेटी)	5,541
आरती किर्लोस्कर (अपीलार्थी की बेटी)	2,760
कुल	1,86,109

सी.

डी.

3. उक्त समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि कंपनी अपने कारखाने में 350 कर्मचारियों और अपने अन्य कार्यालयों में लगभग 25 कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करती है। समझौता ज्ञापन तब सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश को संदर्भित करता है, जो दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा बनाया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि मेरठ में संयंत्र में कंपनी की विनिर्माण गतिविधि को तब तक निलंबित कर दिया गया था जब तक कि कंपनी द्वारा एक द्वितीयक अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित और संचालित नहीं किया जाता है।इसके कारण शेयरों के इस नियंत्रक खंड की बिक्री हुई, जिसे 30 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचा गया था (जब शेयर का सूचीबद्ध बाजार मूल्य केवल 3 रुपये प्रति शेयर था)।उक्त समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि तब से एस. डब्ल्यू. सी. समूह द्वारा एस. डब्ल्यू. सी. समूह को 83,270/- की पूरी बिक्री का भुगतान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप श्री गुप्ता ने एस. डब्ल्यू. सी. समूह के एक प्रतिनिधि को एस. डब्ल्यू. सी. समूह की उक्त शराब बनाने की दुकान और आसवन का भौतिक कब्जा, प्रबंधन और नियंत्रण अपरिवर्तनीय रूप से सौंप दिया है।समझौता ज्ञापन के तहत किए जाने वाले कार्यों में, यह स्पष्ट किया गया था कि एस. डब्ल्यू. सी. समूह के नामांकित व्यक्तियों को आई. डी. 1 पर या उससे पहले निदेशक बनाया जाएगा, ताकि वे कंपनी के निदेशक मंडल में पूर्ण बहुमत का गठन कर सकें।महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री शिव राज गुप्ता और उनके बेटे श्री जयंत गुप्ता (जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर परिवार के प्रमुख शेयरधारक हैं) दोनों ही ऐसा करेंगे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

13.04.1994 द्वारा क्रमशः सी. डी. बी. एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में इस्तीफा दें।उक्त समझौता ज्ञापन के खंड 7 के तहत, अपीलार्थी और उसके बेटे द्वारा यूको बैंक, आई. एफ. सी. आई., आई. सी. आई. सी. आई. और आई. आर. ई. डी. ए. को 8.44 करोड़ रुपये के ऋण के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी को उसके संबंध में सभी दावों, कार्यों आदि के खिलाफ क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

बी.

4. दिनांक 13.04.1994 के एक अनुबंध विलेख द्वारा, उसी दिन हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को दोहराया गया था, और फिर इसे पाठ 3 और 4 में निम्नानुसार कहा गया थाः

“(3) श्री शिवराज गुप्ता ने पिछले कुछ वर्षों में शराब के व्यवसाय में काफी ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञता हासिल की है।

सी.

(4) उक्त शेयरों की खरीद को आगे बढ़ाने के लिए, एस. डब्ल्यू. सी. ने श्री शिवराज गुप्ता से अनुरोध किया है कि वे एस. डब्ल्यू. सी. को उस तारीख से 10 साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आई. एम. एफ. एल.) या बीयर से संबंधित किसी भी विनिर्माण या विपणन गतिविधियों को न करने के लिए एक प्रतिबंधात्मक वाचा दें, जिस तारीख से श्री गुप्ता ने 5 लाख रुपये के गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क पर विचार करने के लिए देने पर सहमति व्यक्त की है। 6,60,00,00 (केवल छह करोड़ साठ लाख रुपये) का भुगतान एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा श्री गुप्ता को किया जाना है।” वाचा विलेख एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें दो खंड हैं, जिन्हें निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः

डी.

ई.

“1.रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुए। एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा श्री गुप्ता को दिए गए ₹2,000 (केवल छह करोड़ रुपये) का भुगतान, उपरोक्त गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क ₹1,000 (जिसकी रसीद, श्री गुप्ता एतद्वारा स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं) के खिलाफ अग्रिम के रूप में, श्री गुप्ता इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, करार करते हैं और वचन देते हैं कि इन उपहारों की तारीख से, श्री गुप्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को शुरू या संलग्न नहीं करेंगे या भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आई. एम. एफ. एल.) और/या बीयर के

निर्माण, लेनदेन और आपूर्ति या विपणन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सेवा, सहायता या सहायता प्रदान नहीं करेंगे।रुपये की शेष राशि। एस. डब्ल्यू. सी. द्वारा श्री गुप्ता को 31 अक्टूबर, 1994 को 60,00,000 (केवल एक लाख रुपये) का भुगतान किया जाएगा।

एफ.

जी.

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

881

ए.

2.यह वाचा इन उपहारों की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी और यह वाचा श्री गुप्ता पर पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से बाध्यकारी होगी।"

5. इस अपील में विवाद की जड़ यह है कि क्या उक्त वाचा विलेख में एक प्रतिबंधात्मक वाचा है जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को भुगतान किया जाता है, या क्या यह वास्तव में एक नकली लेनदेन का हिस्सा है, जो एक अलग वाचा विलेख होने की आड़ में, वास्तव में अपीलार्थी द्वारा सीडीबीएल के अपने प्रबंधन को समाप्त करने के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्त भुगतान की प्रकृति में है, इस मामले में यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (ii) (ए) के तहत कर योग्य होगा।धारा 28 (ii) (a) इस प्रकार हैः

बी.

सी.

"28. व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ।

निम्नलिखित आय "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत आयकर के लिए प्रभार्य होगी।

XXX XXXXX

डी.

((ए) किसी भी व्यक्ति द्वारा देय या प्राप्त कोई मुआवजा या अन्य भुगतान, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, अपने प्रबंधन की समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन के संबंध में किसी भारतीय कंपनी के पूरे या पर्याप्त रूप से पूरे मामलों का प्रबंधन करता है।

ई.

6. दिनांक 31.03.1998 के एक आदेश द्वारा, निर्धारण अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता के स्वामित्व में एक कंपनी है, एक मेसर्स माल्टिंग्स लिमिटेड, जिसने आई. एम. एफ. एल. का भी निर्माण किया था, जो एक घाटे में चलने वाली कंपनी है, एस. डब्ल्यू. सी. समूह और इस नुकसान में डूबे समूह के बीच कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध के विलेख के तहत भुगतान की गई भारी राशि को गैर-प्रतिस्पर्धा के रूप में एक प्रतिबंधात्मक वाचा के संबंध में भुगतान की गई राशि नहीं कहा जा सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी के बेटे को इस तथ्य के बावजूद कोई गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क या राशि का भुगतान नहीं किया गया था कि उसने संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया था। यह भी माना गया कि यह एकमुश्त भुगतान था जिसका कोई कारण नहीं था कि 6 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि का भुगतान क्यों किया जा रहा था।यह भी पाया गया कि प्रतिज्ञापत्र के उपरोक्त विलेख के तहत दायित्वों के निष्पादन को लागू करने के लिए कोई दंड खंड नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप निर्णय लागू होता है।

एफ.

जी.

मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड बनामसीटीओ (1985) 3 एससीसी 230, का विलेख

वाचा को देय कर से बचने के लिए एक रंगीन उपकरण माना गया था

एच.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (ii) (ए) के तहत।इसके परिणामस्वरूप, इस राशि को उपरोक्त प्रावधान के तहत कर में लाया गया था।7. मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) को की गई अपील को खारिज कर दिया गया।जब यह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष आया तो विद्वान लेखाकार सदस्य विद्वान न्यायिक सदस्य से भिन्न थे।विद्वान लेखाकार सदस्य ने कहा कि दोनों विलेखों को अलग-अलग पढ़ना होगा और राजस्व निर्धारिती की व्यावसायिक धारणा को चुनौती नहीं दे सकता है।इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई रंगीन उपकरण शामिल नहीं था, और इसके परिणामस्वरूप, अनुबंध विलेख के तहत देय गैर-प्रतिस्पर्धी शुल्क धारा 28 (ii) (ए) या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रावधान के तहत कर योग्य नहीं था।दूसरी ओर विद्वान न्यायिक सदस्य ने निर्धारण अधिकारी

से काफी हद तक सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने राजस्व के पक्ष में निर्णय लिया।इसके बाद एक तीसरे सदस्य को संदर्भित किया गया, जो एक न्यायिक सदस्य भी था। विद्वान तीसरे सदस्य ने इस तथ्य पर जोर दिया कि सी. डी. बी. एल. के नियंत्रण के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप समझौता ज्ञापन के तहत 3 रुपये मूल्य का एक शेयर 30 रुपये में बेचा गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि इन शेयरों का कम मूल्यांकन किया गया है, न ही यह कहा जा सकता है कि कोई मिलीभगत या अन्य नकली लेनदेन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 6.6 करोड़ रुपये की राशि आयकर से बच गई है।उन्होंने बताया कि आई. डी. 1 दिनांकित एक पत्र द्वारा, एक "जुर्माना खंड" का प्रावधान किया गया था, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि में से 3 करोड़ रुपये की राशि एस. डब्ल्यू. सी. समूह के पास सार्वजनिक जमा योजना के तहत दो साल के लिए जमा की जानी थी, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि समझौता ज्ञापन की शर्तों का कोई उल्लंघन होता है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है, तो इस तरह के नुकसान की राशि इस जमा राशि से काट ली जाएगी। परिणाम यह हुआ कि अपील को 2 के बहुमत से अनुमति दी गई:1 अपीलीय न्यायाधिकरण में।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

8. राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील की।अपनी अपील के आधार पर, राजस्व ने इस मामले में उत्पन्न कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार तैयार कियाः

जी.

“क) क्या आई. टी. ए. टी. ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (ii) के प्रावधानों की सही व्याख्या की है?

(ख) क्या एल. डी. आई. टी. ए. टी. रुपये की रसीद रखने में सही था। प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा गैर-प्रतिस्पर्धी शुल्क 28 (iv) आयकर अधिनियम की धारा के तहत एक पूंजी रसीद थी, न कि आई. टी. अधिनियम की धारा 28 (ii) में परिकल्पित राजस्व रसीद?

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

(ग) क्या एल. डी. आई. टी. ए. टी. रुपये की राशि के संबंध में वाणिज्यिक अर्थों में पूंजी की प्रकृति और लाभ की प्रकृति के बीच अंतर करने में विफल रहा। दिनांक 13.04.1994 के विलेख की प्रतिबंधात्मक वाचा को ध्यान में रखते हुए 6.6 करोड़ रुपये प्राप्त हुए?

(घ) क्या एल. डी. आई. टी. ए. टी. के न्यायिक सदस्य ने अपने मतभेद को दर्ज करने में सही कहा कि रु. प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा 6.60 करोड़ रुपये की राशि वास्तव में कर से बचने के लिए एक रंगीन कवायद थी और इसे आयकर अधिनियम की धारा 28 (ii) के तहत कर योग्य माना गया था।"

बी.

9. दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 22.12.2014 के विवादित फैसले द्वारा, खंड पीठ ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किया:

सी.

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, रु। एस. डब्ल्यू. सी. से निर्धारिती द्वारा प्राप्त 6.6 करोड़ रुपये सी. डी. बी. एल. (जो पहले निर्धारिती के प्रबंधन और नियंत्रण के तहत था) के प्रबंधन और नियंत्रण को एस. डब्ल्यू. सी. को अंतिम लाभ के रूप में सौंपने के कारण है और आयकर अधिनियम की धारा 28 (ii) के तहत कर योग्य है या इसे छूट दी गई है क्योंकि पूंजी रसीद अनुबंध के विलेख को निष्पादित करके गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क है।

डी.

समझौता ज्ञापन और अनुबंध के विलेख, दोनों दिनांकित 13.04.1994 को देखने के बाद, और मूल्यांकन अधिकारी के दिनांकित 31.03.1998 के आदेश का प्रचुर मात्रा में उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन अधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले न्यायिक सदस्य के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि अनुबंध के विलेख को एक अलग दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और यह अपने वास्तविक अवतार में एक गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क नहीं था।तथापि, अपने अंतिम निष्कर्ष में, विद्वत निर्धारण अधिकारी और न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय से असहमत होते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि 6 करोड़ रुपये की उक्त राशि को धारा 28 (2) (ए) के तहत कर में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इसे अपीलार्थी के हाथों में कर योग्य पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि यह शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य का हिस्सा है।

ई.

एफ.

जी.

10. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार और श्री अजय वोहरा ने आयकर प्राधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के माध्यम से हमें लिया है।उन्होंने प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में इस तथ्य को उठाया कि धारा 260-ए के तहत, यह केवल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जा सकता है और कोई अन्य नहीं।अगर

एच.

किसी अन्य प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, न्यायालय को पहले दोनों पक्षों को इसकी सूचना देनी चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, एक तर्कपूर्ण आदेश देना चाहिए और उसके बाद कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना चाहिए, जिसका वह जवाब दे सकता है।वर्तमान मामले में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि बनाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न में यह प्रश्न शामिल नहीं था कि क्या निर्धारिती पर धारा 28 (ii) (a) के प्रावधानों के बाहर कर लगाया जा सकता है।इसलिए, पूरा निर्णय दूषित है और इसे केवल इसी आधार पर अलग रखा जाना चाहिए।उन्होंने इस विवाद को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया।इसके बाद उन्होंने निर्धारिती के पक्ष में विद्वान लेखाकार सदस्य और तीसरे सदस्य के फैसले और उसमें तर्क पर भरोसा किया, जो उनके अनुसार असाधारण है और उच्च न्यायालय द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए था।उन्होंने यह दिखाने के लिए निर्णयों का भी हवाला दिया कि उपरोक्त तिथि से प्रभावी 2002 के वित्त अधिनियम 20 द्वारा धारा 28 (वीए) को लागू करने से पहले, किसी भी व्यवसाय के संबंध में कोई गतिविधि नहीं करने के लिए एक समझौते के तहत प्राप्त किसी भी राशि पर पहली बार इस प्रावधान के तहत कर लगाया गया था और पूर्वव्यापी नहीं होने का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

11. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद ने निर्धारण अधिकारी के आदेश और पहले विद्वान न्यायिक सदस्य के आदेश को पढ़ा और उसमें निहित तर्क को अपनाया।उनके अनुसार, उच्च न्यायालय का फैसला सही ढंग से लागू हुआ

ई.

मैकडॉवेल (ऊपर) और वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी दोनों

v. भारत संघ (2012) 6 एस. सी. सी. 613 उस परिणाम पर पहुंचने के लिए जो यह स्पष्ट था कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त आई. एन. आर. 6.6 करोड़ की राशि वास्तव में शेयरों की बिक्री के लिए भुगतान की प्रकृति में थी।उन्होंने एक विकल्प के रूप में यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में यह धारा 28 (ii) (ए) के तहत आएगा जैसा कि विद्वान मूल्यांकन अधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण के अल्पमत निर्णय द्वारा सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया था।12. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि अपील को पहले अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आधार पर सफल होने की आवश्यकता है।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए इस प्रकार हैः

एफ.

जी.

" 260-A. उच्च न्यायालय में अपील।

(1) राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना की तारीख से पहले अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

885

ए.

(2) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित एक निर्धारिती उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है और इस उप-धारा के तहत ऐसी अपील होगी -

बी.

(क) निर्धारिती या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जिस तारीख को आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, उस तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर दायर किया जाता है;

(ख) [* * *]

सी.

(ग) एक अपील ज्ञापन के रूप में जिसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया गया हो।

(2 क) उच्च न्यायालय उप-धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

डी.

(3) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी, और प्रत्यर्थीगण को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

ई.

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की अदालत की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।(5) उच्च न्यायालय इस प्रकार तैयार की गई विधि के प्रश्न का निर्णय करेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा जिसमें वे आधार हों जिनके आधार पर ऐसा निर्णय लिया गया है और वह ऐसी लागत का अधिनिर्णय कर सकता है जो वह उचित समझे।(6) उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे का निर्धारण कर सकता है जो -

एफ.

जी.

(क) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है; या

(ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है।

(7) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित किए गए प्रावधानों को छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान, अपीलों से संबंधित

एच.

उच्च न्यायालय, जहाँ तक हो सके, इस धारा के तहत अपील के मामले में लागू होगा।”

यह प्रावधान, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निहित एक समान प्रावधान पर आधारित है, यह स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उसके समक्ष अपील में कानून के शामिल होने के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्भर करता है।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर, उच्च न्यायालय या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रश्न का उत्तर देकर या यह कहते हुए निर्णय दे सकता है कि वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रश्न शामिल नहीं है।यदि उच्च न्यायालय कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करना चाहता है जो उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, तो वह दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे प्रश्न तैयार कर सकता है और सुन सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है-धारा 260-ए (4) देखें।उप-धारा (6) के तहत, उच्च न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे का भी निर्धारण कर सकता है, जो उठाया गया हो, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो या जो कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के कारण अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया हो।

बी.

सी.

डी.

13. क्षितिज चंद्र पुरकैट बनाम संतोष कुमार पुरकैट में

(1997) 5 एस. सी. सी. 438, इस न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 का उल्लेख किया और फिर कहाः

“10. हम केवल यह जोड़ेंगे कि (क) प्रारंभिक चरण में भी मामले में शामिल कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है; और (ख) (असाधारण) मामलों में, बाद के समय में, जब न्यायालय कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करने में धारा 100 सी. पी. सी. की उप-धारा (5) के परंतुक के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो विरोधी पक्ष को उस पर नोटिस पर रखा जाना चाहिए और उस बिंदु को पूरा करने के लिए एक उचित या उचित अवसर दिया जाना चाहिए।अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ना अवैध है और अदालत में डाले गए कर्तव्य का त्याग या त्याग है और कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्माण के बाद भी, यदि एक निष्पक्ष या उचित अवसर विपरीत पक्ष को नहीं दिया जाता है, तो यह प्राकृतिक न्याय से इनकार करने के बराबर होगा।उपरोक्त मानदंड जिनके भीतर उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है, उन्हें हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।हमें यह कहते हुए खेद है कि उपरोक्त पहलुओं को कई मामलों में शायद

ही कभी ध्यान में रखा जाता है और उपरोक्त अनुशासन के अनुरूप हुए बिना दूसरी अपीलों पर विचार किया जाता है और/या उनका निपटारा किया जाता है।"

ई.

एफ.

जी.

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

887

ए.

कानून के इस कथन का अनुसरण ज्ञानोबा भाऊराव में किया गया था।

शेमादे बनाम मारौती भाऊराव मार्नर (1999) 2 एस. सी. सी. 471 (देखें

अनुच्छेद **10)**।विश्वनाथ घोष बनाम गोबिंद घोष **(2014) 11** एस**.** सी**.** सी**. 605** में इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय ने पैराग्राफ **16** में इन सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहराया हैः

"16. संहिता की धारा 100 दूसरी अपील के संबंध में प्रावधान करती है जो निम्नानुसार हैः

बी.

"100. दूसरी अपील।—(1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।

सी.

(2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

डी.

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

(4) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर

अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं हैः

ई.

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात, न्यायालय द्वारा प्रणीत नहीं किए गए विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील की सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।"

एफ.

उपरोक्त प्रावधान के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक अपीलीय डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील केवल तभी होगी जब उच्च न्यायालय का समाधान हो कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।यह आगे आदेश देता है कि अपील का ज्ञापन अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को सटीक रूप से बताता है।यदि ऐसी अपील दायर की जाती है, तो उच्च न्यायालय को अपील को स्वीकार करते या उस पर विचार करते समय अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए और इसमें शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना चाहिए।

जी.

एच.

अपील में।इसके बाद इस तरह से तैयार किए गए प्रश्नों पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रत्यर्थी को केवल कानून के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस धारा का परंतुक अदालत को कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुनवाई करने का अधिकार देता है जो कारणों को दर्ज करने के बाद तैयार नहीं किया गया है।

14. यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न में कोई सवाल नहीं था कि क्या गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (ii) (ए) के अलावा किसी अन्य प्रावधान के तहत कर लगाया जा सकता है।निर्धारिती के हाथों में पूंजी रसीद के रूप में ऐसी राशि की करयोग्यता के बारे में कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के कारणों के बाद पक्षों को एक अवसर दिए बिना, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उठाए गए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दियाः

बी.

सी.

“63. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम रुपये का इलाज करना उचित और उचित समझते हैं। अधिनियम की धारा 28 (ii) (a) के तहत भुगतान के बजाय शेयरों की बिक्री के लिए भुगतान किए गए विचार के रूप में 6.6 करोड़ रुपये।

डी.

XXX XXXXX

65. कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर तदनुसार अपीलार्थी-राजस्व के पक्ष में और प्रत्यर्थी-निर्धारिती के खिलाफ दिया जाता है, लेकिन यह मानते हुए कि रु। उत्तरदाता-निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में 6.6 करोड़ रुपये का कर देय था, जो शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए पूर्ण मूल्य बिक्री विचार का एक हिस्सा था।अपीलार्थी-राजस्व दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार लागत का हकदार होगा।”

ई.

स्पष्ट रूप से, बिना किसी अभिलिखित कारण के और इस पर कानून का कोई ठोस सवाल तैयार किए बिना कि क्या उक्त राशि पर आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कर लगाया जा सकता है, उच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर कहा कि निर्धारिती द्वारा प्राप्त 6.6 करोड़ रुपये की राशि शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्राप्त की गई थी-न कि सीडीबीएल के प्रबंधन और नियंत्रण को सौंपने के लिए और इसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 28 (ii) (ए) के तहत कर योग्य नहीं है। न ही इसे पूंजी रसीद के गैर-प्रतिस्पर्धी शुल्क होने के रूप में छूट दी गई है, क्योंकि यह शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्रत्यर्थी-निर्धारिती के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है।यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से धारा 260-ए (4) के आधार पर होगा, जिसमें इस आधार पर निर्णय को अलग रखने की आवश्यकता होगी।

एफ.

जी.

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

889

ए.

15. गुण-दोष पर आते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया किः

“22. ...इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक शेयर का बाजार मूल्य केवल 3/- रुपये प्रति शेयर था और समझौता ज्ञापन के तहत खरीद मूल्य Rs.30-था, लेकिन प्राप्त कुल प्रतिफल केवल Rs.56 लाख था।कथित तौर पर गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के रूप में जो भुगतान किया गया था, वह दस गुना अधिक था, यानी रु। 6. 60 करोड़।यह आंकड़ा गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, डीहर्स और शेयरों की बिक्री, प्रबंधन के नुकसान और सी. डी. बी. एल. के नियंत्रण के संदर्भ के बिना किया गया एक यथार्थवादी भुगतान प्रतीत नहीं होता है। निर्धारिती ने गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के भुगतान के रूप में एक खगोलीय राशि को जिम्मेदार ठहराया था, जो शेयरों की बिक्री से असंबद्ध थी और इसलिए कर योग्य नहीं थी।ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेयरों की बिक्री के लिए प्राप्त मूल्य, जिसे स्वीकार किया जाता है, पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य था।प्रत्येक शेयर की उद्धृत कीमत का तर्क केवल रु। केवल 3, अर्थात रुपये की घोषित कीमत। 30/- गलत और ऑफ बीम है।निर्धारिती का तर्क एक बुनियादी और मौलिक दोष से ग्रस्त है जो विशिष्ट और स्पष्ट है।”

बी.

सी.

डी.

यह खोज तय स्थापित विधि के सामने उड़ती है।कई निर्णयों में कहा गया है कि व्यावसायिक समीचीनता का निर्णय निर्धारिती के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए और आयकर विभाग निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि की तर्कसंगतता में प्रवेश नहीं कर सकता है।इस न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम वालचंद एंड कंपनी (1967) 3 एस. सी. आर. 214 में निम्नानुसार कहाः

ई.

“न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि या तो कथित भुगतान वास्तविक नहीं है या यह कि यह निर्धारिती द्वारा एक व्यापारी के रूप में नहीं किया गया है या यह कि यह पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया है और इसे अस्वीकार करने के लिए खुला है।लेकिन यह न्यायाधिकरण का कार्य नहीं है कि वह पारिश्रमिक निर्धारित करे जो उनके विचार में निर्धारिती के कर्मचारी को दिया जाना चाहिए।जब आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत भत्ते का दावा किया जाता है, तो आयकर अधिकारियों को यह तय करना होता है कि भत्ते के रूप में दावा किया गया खर्च स्वेच्छा से और वाणिज्यिक औचित्य के आधार पर किया गया था या नहीं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था, वाणिज्यिक समीचीनता की कसौटी को लागू करने में, व्यय

की तर्कसंगतता का निर्णय व्यापारी के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए न कि राजस्व के दृष्टिकोण से।" [पृष्ठ 217 पर]

एफ.

जी.

एच.

उपरोक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय ने जे. के. ऊनी विनिर्माता बनाम सी. आई. टी. **(1969) 1** एस. सी. आर. **525** में अभिनिर्धारित कियाः

"जैसा कि इस न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम वालचंद एंड कंपनी में बताया है। प्राइवेट लिमिटेड [(1967) 65 आई. टी. आर. 381:(ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1435)] यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था, वाणिज्यिक समीचीनता की परीक्षा को लागू करने में, व्यय की तर्कसंगतता का निर्णय व्यवसायी के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए न कि आयकर विभाग के दृष्टिकोण से।बेशक, अपीलीय न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि या तो कथित भुगतान वास्तविक नहीं है या यह कि यह किसी व्यापारी के रूप में निर्धारिती द्वारा नहीं किया गया है या यह पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारिती के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया है और इसे अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यह न्यायाधिकरण का कार्य नहीं है कि वह पारिश्रमिक निर्धारित करे जो उनके विचार में निर्धारिती के किसी कर्मचारी को दिया जाना चाहिए।" [पृष्ठ पर 529-530]

बी.

सी.

डी.

सी. आई. टी. बनाम पानीपत वूलेन एंड जनरल मिल्स कंपनी में यह न्यायालय।

लिमिटेड (1976) 2 एस. सी. सी. 5 ने निम्नानुसार कहाः"6. तथ्यों पर आने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है कि दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता हैः

ई.

“(1) कि अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के अंतर्गत आने के लिए दावा की गई कटौती एक ऐसे व्यय के बराबर होनी चाहिए जो पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या व्यय किया गया था।यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा,

एफ.

(2) कि व्यय की तर्कसंगतता के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, वाणिज्यिक समीचीनता की कसौटी का निर्णय आयकर विभाग के बजाय व्यापारी के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।”

जी.

इसके अलावा, यह न्यायालय शाहजादा नंद एंड संस बनाम सी. आई. टी. (1977) 3

एस. सी. सी. 432 ने इस सिद्धांत को निम्नानुसार दोहरायाः“4. ...लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि इन कारकों पर एक सामान्य, विवेकपूर्ण व्यवसायी के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए।इन कारकों के संदर्भ में भुगतान की तर्कसंगतता का आकलन मूल्यांकन ए के किसी भी व्यक्तिपरक मानक पर नहीं किया जाना चाहिए।

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

891

प्राधिकरण, लेकिन वाणिज्यिक समीचीनता के दृष्टिकोण से.. वाणिज्यिक समीचीनता की आवश्यकता क्या है, इसका आकलन 19 वीं शताब्दी के लैसेज़-फेयर सिद्धांत के आलोक में नहीं किया जाना चाहिए, जो मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ की रक्षा करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित एक आर्थिक प्राणी के रूप में मानता है, बल्कि वर्तमान सामाजिक-आर्थिक सोच के संदर्भ में जो समुदाय के सामान्य हित को व्यक्ति के व्यक्तिगत हित से ऊपर रखता है और यह मानता है कि एक व्यवसाय या उपक्रम नियोक्ता और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और जहां नियोक्ता और कर्मचारियों के वेतन या पारिश्रमिक और अन्य पूर्व शुल्क जैसे कि पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, भंडार आदि का प्रावधान करने के बाद पर्याप्त लाभ होता है, इसका एक हिस्सा कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए।”

बी.

सी.

इसके अलावा, यह न्यायालय एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनाम.सी. आई. टी. (2007) 1 एस. सी. सी. 781

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः“36. हम सी. आई. टी. बनाम डालमिया सीमेंट (बी) लिमिटेड [(2002) 254 आई. टी. आर. 377 (डी. एल.)] में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि व्यय और व्यवसाय के उद्देश्य के बीच संबंध था (जो आवश्यक रूप से स्वयं निर्धारिती का व्यवसाय नहीं होना चाहिए), राजस्व उचित रूप से खुद को व्यवसायी की कुर्सी पर या निदेशक मंडल के पद पर रखने का दावा नहीं कर सकता है और यह तय करने के लिए भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कितना उचित व्यय है।किसी भी व्यापारी को अपना अधिकतम लाभ बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।आयकर अधिकारियों को खुद को निर्धारिती के स्थान पर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि एक विवेकपूर्ण व्यवसायी कैसे कार्य करेगा।अधिकारियों को इस मामले को अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, हमें वाणिज्यिक लाभप्रदता के दृष्टिकोण से एक सहयोगी संस्था को उधार ली गई धनराशि के हस्तांतरण को देखना होगा, न कि इस दृष्टिकोण से कि क्या राशि लाभ अर्जित करने के लिए आगे बढ़ाई गई थी।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

इसी सिद्धांत को हाल ही में एक द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है

हीरो साइकिल (पी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय का निर्णय।सी. आई. टी. (2015) 16 एस. सी. सी.

359 जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः“11. जहाँ तक सहयोगी संस्था/सहायक कंपनी को दिए गए ऋणों का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कानून का पुनर्कथन किया जाता है।

एच.

एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनामसी. आई. टी. [एस. ए. बिल्डर्स लिमिटेड बनामसी. आई. टी. (2007) 1

892

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 5 एस सी आर।

एससीसी 781]।वाणिज्यिक समीचीनता के दायरे पर ध्यान देने और चर्चा करने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से कानूनी स्थिति का सारांश दिया:(एस. सी. सी. पीपी. 787-88, पैरा 27-31)

XXX XXXXX

31. इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सी. आई. टी. बनाम मलयालम द्वारा 'लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से' अभिव्यक्ति की तुलना में 'व्यवसाय के उद्देश्य के लिए' अभिव्यक्ति का दायरा व्यापक है।

बी.

बागान लिमिटेड [सी. आई. टी. बनाम मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड, (1964) 53 आई. टी. आर. 140 (एस. सी.)], सी. आई. टी. बनाम बिड़ला कॉटन एस. पी. जी. और डब्ल्यू. वी. जी. मिल्स लि. [सी. आई. टी. बनाम बिड़ला कॉटन एसपीजी. और डब्ल्यू. वी. जी.। मिल्स लिमिटेड (1971) 3 एस. सी. सी.

344] , आदि।"

सी.

12. इस प्रक्रिया में**,** न्यायालय ने यह भी सहमति व्यक्त की कि द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

सी. आई. टी. बनाम डालमिया सीमेंट (बी.) में दिल्ली उच्च न्यायालय लिमिटेड [सी. आई. टी. बनाम.

डालमिया सीमेंट (बी.) लिमिटेड, 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1447:(2002) 254 आई. टी. आर. 377] जिसमें उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि (एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल पैरा 8) एक बार यह साबित हो जाने के बाद कि व्यय और व्यवसाय के उद्देश्य के बीच संबंध है (जो आवश्यक रूप से स्वयं निर्धारिती का व्यवसाय नहीं होना चाहिए), राजस्व न्यायसंगत रूप से खुद को व्यवसायी की पीठ में या निदेशक मंडल के पद पर रखने का दावा नहीं कर सकता है और यह तय करने के लिए भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कितना उचित व्यय है।इसने आगे कहा कि किसी भी व्यवसायी को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और आयकर अधिकारियों को खुद को निर्धारिती के स्थान पर रखना चाहिए और देखना चाहिए कि एक विवेकपूर्ण व्यवसायी कैसे कार्य करेगा।अधिकारियों को इस मामले को अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक विवेकपूर्ण व्यवसायी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए।"

डी.

ई.

एफ.

16. वोडाफोन (ऊपर) के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय का अगला निष्कर्ष इस प्रकार हैः

“56. उपरोक्त चर्चा और लेन-देन की सही और वास्तविक प्रकृति पर हमारे निष्कर्षों को 'गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क' के रूप में छिपाने के मद्देनजर, हमें कोई झिझक और आपत्ति नहीं है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती अपमानजनक कर परिहार में लिप्त था।”17. हम केवल वही दोहरा सकते हैं जो अपीलीय न्यायाधिकरण के बहुमत निर्णयों द्वारा सही पाया गया है, किः

जी.

(i) आई. एन. आर. 10 के अंकित मूल्य और आई. एन. आर. 3 के बाजार मूल्य का एक हिस्सा नियंत्रण प्रीमियम का भुगतान करने के परिणामस्वरूप आई. एन. आर. 30 में बेचा गया था।

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

893

ए.

((ii) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को कंपनी में उसके शेयरों के लिए भुगतान किया गया था, जिसमें से बड़ा हिस्सा निर्धारिती के बेटे और पत्नी को दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास उक्त परिवार में सबसे अधिक शेयर थे।

(iii) 6 करोड़ रुपये का गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क केवल निर्धारिती को दिया गया था।वाचा विलेख में यह कहा गया था कि श्री शिव राज गुप्ता ने शराब के व्यवसाय में काफी ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषज्ञता हासिल की थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथ्यों के आधार पर वे लगभग 35 वर्षों तक सी. डी. बी. एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। कि उनके पास मैसर्स मार्ल्टिग्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी थी, जो आई. एम. एफ. एल. और बीयर का निर्माण और बिक्री करती थी और वह ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन और एच. पी. डिस्टिलरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे।

बी.

सी.

((iv) लेखा सदस्य के निर्णय में आगे यह दर्ज किया गया है कि एस. डब्ल्यू. सी. समूह और अपीलार्थी के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप 6.60 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।

डी.

(v) कि 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक वाचा के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 66 लाख रुपये का भुगतान किया गया ताकि अपीलकर्ता "आई. एम. एफ. एल. और/या बीयर के निर्माण, लेन-देन और आपूर्ति या विपणन के संबंध में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी प्रकार की कोई सेवा, सहायता या समर्थन प्रदान नहीं करेगा।" निर्धारिती की व्यक्तिगत विशेषज्ञता को देखते हुए, एस. डब्ल्यू. सी. समूह की धारणा यह थी कि श्री गुप्ता या तो एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या खुद को एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसाय में संलग्न कर सकते हैं, जिसमें आई. एम. एफ. एल. और बीयर का निर्माण और विपणन शामिल होगा, जिसमें वे एक पुराने हाथ थे, जिनके पास 35 वर्षों का अनुभव था।(vi) जैसा कि दूसरे न्यायिक सदस्य द्वारा सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया था, यह भी स्पष्ट था कि समझौता ज्ञापन के किसी भी उल्लंघन के कारण किसी भी नुकसान की कटौती के उद्देश्य से एस. डब्ल्यू. सी. समूह के साथ सार्वजनिक जमा के माध्यम से 6 करोड़ रुपये में से 3 करोड़ रुपये को दो साल की अवधि के लिए रोकना एक दंड खंड के समान था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो पूरी तरह से अलग और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दो अलग-अलग समझौते करने में कोई रंगीन उपकरण शामिल नहीं था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

18. विद्वत निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए कारण और अपीलीय न्यायाधिकरण का अल्पमत निर्णय वे सभी कारण हैं जो उद्धृत निर्णयों द्वारा खींची गई रेखाओं का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राजस्व को इस बात का दूसरा अनुमान लगाने का कोई काम नहीं है कि कौन से पक्ष एक दूसरे के लिए निर्णय लेते हैं।उदाहरण के लिए, यह कहना कि 6.60 करोड़ रुपये के भुगतान के पीछे कोई तर्क नहीं था और यह कि निर्धारिती एस. डब्ल्यू. सी. समूह के लिए संभावित या बोधगम्य खतरा या प्रतियोगी नहीं था, निर्धारण अधिकारी की धारणा है, जो निर्धारिती के दृष्टिकोण से व्यावसायिक वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है।यह तथ्य कि मैसर्स माल्टिंग्स लिमिटेड को पिछले वर्ष नुकसान हुआ था, न तो यहाँ है और न ही वहाँ है।यह भविष्य में एस. डब्ल्यू. सी. समूह के लिए एक सीधा खतरा हो सकता है और भविष्य के वर्षों में लाभ कमा सकता है।इसके अलावा, मेसर्स माल्टिंग्स लिमिटेड निर्धारिती की केवल एक चिंता है-यह सभी मामलों में इस

क्षेत्र में निर्धारिती की विशेषज्ञता है जो एस. डब्ल्यू. सी. समूह की खतरे की धारणा थी जिसका राजस्व द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।समान रूप से यह तथ्य कि अनुबंध विलेख के उल्लंघन के लिए कोई दंड खंड नहीं था, हमारे द्वारा दिनांकित 02.04.1994 पत्र को देखते हुए गलत पाया गया है।तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने कारणदर्शक नोटिस के जवाब में अपने दिनांकित 26.03.1998 के पत्र में कहा था कि एस. डब्ल्यू. सी. समूह ने सी. डी. बी. एल. में शेयरों की खरीद से पर्याप्त वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया था क्योंकि 31.03.1991 समाप्त होने वाली लेखा अवधि में कारोबार 9.79 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.1997 समाप्त होने वाली लेखा अवधि में आई. एन. आर. 45.17 करोड़ रुपये हो गया था।वास्तव में, एस. डब्ल्यू. सी. समूह, अपने स्वयं के विज्ञापन और विपणन प्रयासों के कारण, छह साल की अवधि के बाद इस आंकड़े तक पहुंच गया होगा (तारीख 30.09.1995 को उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 19 में गलत तरीके से दर्ज किया गया है- दिनांकित 26.03.1998 पत्र के अनुसार सही तारीख 31.03.1991 है, जैसा कि हमने ऊपर बताया है)।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

19. यह केवल हमारे लिए रह गया है कि हम गफी केम **(**पी**)** लिमिटेड बनाम में निर्णय की ओर इशारा करें।सीआईटी **(2011) 4** एससीसी **254**।इस मामले में**,** न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्न इस प्रकार हैः

“प्रतिस्पर्धा न करने के समझौते (नकारात्मक वाचा समझौता) के तहत भुगतान एक पूंजी रसीद है या राजस्व रसीद वह सवाल है जो इस मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है?”

जी.

यहां, न्यायालय रैनबैक्सी से गैर-प्रतिस्पर्धी ए के रूप में अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा प्राप्त 50 लाख रुपये की राशि पर विचार कर रहा था।

एच.

शिव राज गुप्ता बनाम आय-कर आयुक्त, दिल्ली-IV [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

दिनांकित 31.03.1997 समझौते के तहत शुल्क।इस न्यायालय ने ऐसी रसीद पर धारा 28 (ii) (ए) के आवेदन को अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“ निर्णय

4. कानून में स्थिति स्पष्ट और अच्छी तरह से स्थापित है।एजेंसी के नुकसान के लिए एक निर्धारिती द्वारा मुआवजे की प्राप्ति और नकारात्मक/प्रतिबंधात्मक वाचा के कारण मुआवजे की प्राप्ति के बीच एक द्वंद्व है।एजेंसी के नुकसान के लिए प्राप्त मुआवजा एक राजस्व रसीद है जबकि एक नकारात्मक/प्रतिबंधात्मक वाचा के लिए जिम्मेदार मुआवजा एक पूंजी रसीद है।

बी.

5. उपरोक्त द्विभाजन को गिलैंडर मामले [(1964) 53 आई. टी. आर. 283 (एस. सी.)] में इस न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, जिसमें तथ्य इस प्रकार थेःउस मामले में निर्धारिती ने प्रबंध एजेंटों, शिपिंग एजेंटों, क्रय एजेंटों और सचिवों के रूप में कार्य करने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय किया।निर्धारिती विदेशी प्रधानाचार्यों की ओर से आयातकों और वितरकों के रूप में भी काम करता था और अपने खाते में खरीद-बिक्री करता था।एक समझौते के तहत जो इच्छानुसार समाप्त करने योग्य था, निर्धारिती इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (एक्सपोर्ट) लिमिटेड द्वारा निर्मित विस्फोटकों के एकमात्र एजेंट के रूप में कार्य करता था। उस एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था और मुआवजे के रूप में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (एक्सपोर्ट) लिमिटेड ने एजेंसी की समाप्ति के बाद पहले तीन वर्षों के लिए अपीलकर्ता की एजेंसी के क्षेत्र में इसकी बिक्री पर अर्जित कमीशन का दो-पांचवां हिस्सा भुगतान किया और इसके अलावा तीसरे वर्ष में उस वर्ष में बिक्री के लिए पूर्ण कमीशन का भुगतान किया गया था।इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (एक्सपोर्ट) लिमिटेड ने निर्धारिती से विस्फोटक के लिए किसी भी एजेंसी को बेचने या स्वीकार करने से बचने का औपचारिक वचन लिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

6. गिलैंडर के मामले [(1964) 53 आई. टी. आर. 283 (एस. सी.)] में निर्धारण के लिए दो सवाल उठे, अर्थात्, क्या अपीलार्थी द्वारा एजेंसी के नुकसान के लिए प्राप्त राशि सामान्य रूप से काम कर रही थी और इसलिए क्या वे राजस्व रसीद थी?इस न्यायालय के समक्ष दूसरा प्रश्न यह उठा कि क्या निर्धारिती द्वारा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय नहीं करने की शर्त पर प्राप्त राशि (क्षतिपूर्ति) पूंजी रसीद की प्रकृति की थी?यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एजेंसी

के नुकसान के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुआवजा एक राजस्व रसीद थी जबकि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय करने से बचने के लिए प्राप्त मुआवजा एक पूंजी रसीद थी।

जी.

एच.

7. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में इस द्विभाजन की सराहना नहीं की है।उच्च न्यायालय ने गिलैंडर मामले [(1964) 53 आई. टी. आर. 283 (एस. सी.)] में इस न्यायालय के फैसले की गलत व्याख्या की है।वर्तमान मामले में, विभाग ने लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया है।वर्तमान मामले में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने सी. आई. टी. (ए) और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गलती की है।

बी.

8. एक और पहलू पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।एक नकारात्मक वाचा के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के रूप में प्राप्त भुगतान को हमेशा मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 तक पूंजी रसीद के रूप में माना जाता था।यह केवल वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार 1-4-2003 से प्रभावी है कि उक्त पूंजी रसीद को अब कर योग्य बना दिया गया है [धारा 28 (v-a) देखें]।वित्त अधिनियम, 2002 स्वयं इंगित करता है कि प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के दौरान गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त मुआवजा एक पूंजी रसीद थी, जो 1961 के अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं थी। यह केवल 1-4-2003 से कर योग्य हो गया।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि देयता को पूर्वव्यापी रूप से नहीं बनाया जा सकता है।वर्तमान मामले में, गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत प्राप्त मुआवजा एक पूंजी रसीद के रूप में कर योग्य हो गया और धारा 28 (वी-ए) के अनुसार विशिष्ट विधायी जनादेश द्वारा राजस्व रसीद के रूप में नहीं और वह भी 1-4-2003 से प्रभावी हो गया।अतः उक्त धारा 28 (वी-ए) संशोधनकारी है और स्पष्टीकरणात्मक नहीं है।

सी.

डी.

9. अंत में, सी. आई. टी. बनाम राय बहादुर जयराम वालजी [(1959) 35 आई. टी. आर.

ई.

148 (एस. सी.)] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई अनुबंध व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किया जाता है, तो इसकी समाप्ति (एजेंसी की हानि) के लिए प्राप्त कोई भी मुआवजा एक राजस्व रसीद होगी।वर्तमान मामले में, सी. आई. टी. (ए) के साथ-साथ न्यायाधिकरण दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रैनबैक्सी के साथ निर्धारिती द्वारा किए गए समझौते से व्यवसाय के स्रोत का नुकसान हुआ; वह भुगतान नकारात्मक वाचा के तहत प्राप्त किया गया था और इसलिए रु। रैनबैक्सी से निर्धारिती द्वारा 50 लाख रुपये की राशि पूंजी रसीद की प्रकृति में थी।वास्तव में, मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए, संसद ने 1-4-2003 से प्रभावी गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत ऐसी प्राप्तियों पर विशेष रूप से कर लगाने के लिए कदम उठाया।"

एफ.

जी.

20. उपरोक्त निर्णय का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, हम अपील की अनुमति देते हैं और ऊपर दिए गए सभी कारणों से विवादित निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निर्णय के संदर्भ में निपटाए जाते हैं।

एच.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।